प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 18.05.2024

क्राईम ब्रान्च पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद द्वारा अवैध असलहों की तस्करी करने वाले 04 शातिर अन्तर्राज्यीय तस्कर गिरफ्तार, कब्जे से 04 पिस्टल मय मैगजीन व 06 तमंचे बरामद

दिनाँक-17/05/2024 को क्राईम ब्रान्च पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद द्वारा जनपद गाजियाबाद व दिल्ली एन.सी.आर. में अवैध असलहों की तस्करी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 04 शातिर असलहा तस्करों को थाना मुरादनगर क्षेत्र से गिरफ्तार करने में महत्तवपूर्ण सफलता हासिल की गयी है जिनके कब्जे से 04 पिस्टल .32 बोर मय मैगजीन व 06 तमंचे 315 बोर बरामद हुए है तथा तस्करी मे प्रयुक्त मोटर साईकिल स्पलेण्डर व ज्यूपिटर स्कूटी जब्त किये गये है। ।

पूछताछ का विवरण- पूछताछ पर अभियुक्त अनस पुत्र इमरान ने बताया कि उसने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मॉस कम्यूनिकेशन से ग्रेजुएशन किया हुआ है पढाई के बाद दिल्ली से वापस आने के पर उसकी दोस्ती आपराधिक प्रवृत्ति के लोगो से हो गयी इसी बीच उसकी मुलाकात मेरठ के अमन उर्फ अन्नू से हुई जो बिहार व मध्य प्रदेश से तस्करी कर लाकर पिस्टल सप्लाई का काम करता था उससे मिलकर ये भी आस-पास के क्षेत्रों में तस्करी कर पिस्टल बिकवाने लगा। अनस पुत्र इमरान सन् 2021 मे मुरादनगर मे शाहरूख के मर्डर में जेल गया था जेल से छूटने के बाद इसकी मुलाकाल अनस गाजी पुत्र यूनुस पहलवान से हुई वह भी हत्या, रंगदारी व हत्या के प्रयास आदि मामलों मे जेल जा चुका है दोनो मिलकर मोईन निवासी बिजली बम्बा मेरठ व अमन उर्फ अन्नू निवासी हुमायू नगर मेरठ से पिस्टल व तमंचे लाते है और उसको ईनाम निवासी डासनागेट गाजियाबाद, आरिफ निवासी फरूखनगर व अंकित निवासी ग्राम शेरपुर पैंगा निवाडी गाजियाबाद के माध्यम से आगे बेच देते है। अभियुक्त अनस पुत्र यूनुस पहलवान ने बताया कि वह 10वीं पास है वर्ष 2016 में पहली बार हत्या के प्रयास मे जेल गया था जेल से आकर उसका आपराधिक प्रवृत्ति के लोगो से मेल-जोल बढ गया वह बदमाशी व रंगदारी करने लगा वर्ष 2020 में रंगदारी माँगने के मुकदमे मे तथा वर्ष 2021 मे मुरादनगर मे समीर अंसारी की हत्या मे भी जेल जा चुका है। अभियुक्त आरिफ कुरैशी 5वीं पास एंव शातिर किस्म का अपराधी है जिसके विरूद्ध दिल्ली एन.सी.आर., हापुड, गाजियाबाद, बागपत मे चोरी, लूट, हत्या, हत्या के प्रयास आदि के करीब डेढ दर्जन अभियोग पंजीकृत है इसकी जान पहचान अपने जेल के अपराधी साथियों के माध्यम से ईनाम कुरैशी व अनस पुत्र इमरान से हुई और ये भी हथियार खरीदने व बेचने का काम करने लगा। अभियुक्त ईनाम कुरैशी ने पूछने पर बताया कि वह मूल रूप से जारचा गौतमबुद्धनगर का रहने वाला है तथा हाल मे डासनागेट गाजियाबाद मे किराये के मकान मे रहता है तथा भैसों के खरीदने-बेचने का काम करता था वर्ष 2014 मे नौशाद मर्डर में जेल गया था उसके बाद फिर लूट व हत्या के प्रयास आदि मे जेल जा चुका है।

अभियुक्तगणों ने पूछताछ पर बताया कि मेरठ के अमन उर्फ अन्नू व मोईन जो बिहार व मध्य प्रदेश से पिस्टल की तस्करी करके लाते है हम उनसे पिस्टल .32 बोर 30 से 32 हजार रूपये मे लेकर 40 से 45 हजार रू0 तक व तमंचा 2,200 रू0 मे लेकर 4,500 रू0 मे आगे बेच देते है इसमे जो भी मुनाफा होता है वह आपस मे बाँट लेते है इससे अपने खर्चे व शौक पूरे करते है।

अभियुक्त अनस अलवी पुत्र इमरान थाना मुरादनगर का ए श्रेणी का सक्रिय हिस्ट्रीशीटर (289ए) है तथा अतिरिक्त पुलिस आयुक्त पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद के आदेशानुसार दिनाँक-03/05/24 से 03/10/24 कर जिलाबदर किया जा चुका है। अभियुक्त अनस गाजी पुत्र यूनुस पहलवान थाना मुरादनगर का ए श्रेणी का सक्रिय हिस्ट्रीशीटर (299ए) है तथा अतिरिक्त पुलिस आयुक्त पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद के आदेशानुसार दिनाँक-03/05/24 से 03/10/24 कर जिलाबदर किया जा चुका है।

अभियुक्तगण शातिर किस्म के अन्तर्राज्यीय असलहा तस्कर है इनके द्वारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली एन0सी0आर0 में असलहों की तस्करी की जाती रही है अभियुक्तगणो से मिली जानकारी के आधार पर गिरोह के अन्य सदस्यों की गिरफ्तारी व बरामदगी हेतु टीमें बनाकर दबिशें दी जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-
1.अनस पुत्र इमरान निवासी सरला रोड मौहल्ला तेलियान नियर नमरा मस्जिद कस्बा व थाना मुरादनगर गाजियाबाद उम्र करीब 24 वर्ष
2.अनस पुत्र यूनुस पहलवान निवासी म0न0-22 रावली रोड जीतपुर रामा कृष्णा गार्डन के सामने कस्बा व थाना मुरादनगर गाजियाबाद उम्र करीब 24 वर्ष
3.आरिफ पुत्र शौकत निवासी म0न0-292 मौहल्ला कुरैशियान फरूखनगर थाना टीलामोड गाजियाबाद उम्र करीब 30 वर्ष
4.ईनाम पुत्र रहम ईलाही निवासी मिल्लू का मकान मौहल्ला कस्साम डासना गेट थाना कोतवाली घण्टाघर गाजियाबाद उम्र करीब 50 वर्ष

बरामदगी का विवरण-
1.पिस्टल .32 बोर - 04
2.मैगजीन .32 बोर- 04
3.तमंचे 315 बोर- 06
4.तस्करी मे प्रयुक्त स्कूटी -01
5.तस्करी मे प्रयुक्त मोटर साइकिल – 01

आपराधिक इतिहासः-
1.अभियुक्त अनस पुत्र इमरान के विरूद्ध गाजियाबाद मे 06 अभियोग पंजीकृत है।
2.अभियुक्त अनस पुत्र यूनुस पहलवान के विरूद्ध गाजियाबाद मे 06 अभियोग पंजीकृत है।
3.अभियुक्त आरिफ के विरूद्ध दिल्ली मे 10, जनपद हापुड मे 02, बागपत मे 01 व गाजियाबाद मे 05 कुल 18 अभियोग पंजीकृत है।
4.अभियुक्त ईनाम के विरूद्ध गाजियाबाद मे 04 अभियोग पंजीकृत है।

गिरफ्तार करने वाली टीम-
क्राइम ब्रान्च, पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद

थाना कविनगर पुलिस टीम द्वारा धारदार हथियार से हमला करने वाला 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

घटना का विवरणः- दिनांक 31.03.2024 को वादी योगेन्द्र सिंह पुत्र स्व0 रमेश ने अभियुक्त सोनू द्वारा धारदार हथियार से हमला करने के सम्बन्ध में तहरीर दी । उक्त तहरीर के आधार पर थाना कविनगर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया ।

कार्यवाही का विवरणः- उपरोक्त घटना का तत्काल संज्ञान लेते हुए घटना के अनावरण हेतु टीमों का गठन किया गया । सभी टीमों के अथक प्रयास, लोकल इनपुट, सीसीटीवी कैमरे व मुखबिर की सूचना के आधार पर दिनांक 18.05.2024 को अभियुक्त सोनू शर्मा पुत्र अशोक कुमार निवासी महरौली थाना वेव सिटी कमिश्नरेट गाजियाबाद को मुखर्जी पार्क चौराहे पर धर्म कांटे के पास से गिरफ्तार किया गया । आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः- गिरफ्तार अभियुक्त सोनू शर्मा उपरोक्त ने पूछताछ में बताया कि साहब मेरा व योगेन्द्र का पूर्व से विवाद चल रहा था । जिसकी वजह से मैने उस पर हमला किया था ।

अभियुक्त का नाम पता-
सोनू शर्मा पुत्र अशोक कुमार निवासी महरौली थाना वेव सिटी कमिश्नरेट गाजियाबाद

गिरफ्तार करने वाली टीमः-
थाना कविनगर पुलिस टीम

थाना लोनी पुलिस द्वारा वाहन चोरी करने वाला 01 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 01 स्कूटी बरामद।

आज दिनांक 18.05.2024 को थाना लोनी पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान चौकी क्षेत्र कस्बा थाना लोनी गाजियाबाद से वाहन चोरी करने वाला 01 शातिर अभियुक्त फराज पुत्र हफीजुद्दीन निवासी मुस्तफाबाद थाना लोनी गाजियाबाद उम्र करीब 22 वर्ष को चोरी की एक स्कूटी सहित गिरफ्तार किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

अभियुक्त का विवरण
अभियुक्त एक शातिर किस्म का अपराधी है। जिसके विरूद्ध पूर्व में चोरी के अभियोग पंजीकृत है । अभियुक्त एनसीआर से वाहन चोरी करता है तथा चोरी के वाहनों को सस्ते दामों में बेच देता है। अभियुक्त से जो स्कूटी बरामद हुई है वह लोनी से चोरी की थी ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम/पता
फराज पुत्र हफीजुद्दीन निवासी मुस्तफाबाद थाना लोनी गाजियाबाद उम्र करीब 22 वर्ष

अपराधिक इतिहास
थाना लोनी पर अभियुक्त के विरूद्ध वाहन चोरी के पंजीकृत अभियोग की संख्या- 02

बरामदगी का विवरण
चोरी की एक स्कूटी रजि0 नं0 DL6SBF 8149

गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली टीम
थाना लोनी पुलिस टीम

थाना टीला मोड़ पुलिस टीम द्वारा दुष्कर्म के अभियोग में वांछित 02 अभियुक्त गिरफ्तार ।

कार्यवाही का विवरण: दिनांक 17.05.2024 को थाना टीला मोड़ पर वादिया द्वारा लिखित तहरीर दी गई कि अभियुक्त 1. हनी उर्फ मोनू पुत्र बीरेश कुमार निवासी मास्टर कालोनी गरिमा गार्डन थाना टीलामोड़

गाजियाबाद उम्र 24 वर्ष, 2. विवेक पुत्र बीरेश कुमार निवासी मास्टर कालोनी गरिमा गार्डन थाना टीलामोड़ गाजियाबाद उम्र 21 वर्ष ने वादिया की नाबालिग पुत्री के साथ दुष्कर्म किया है। वादिया की प्राप्त तहरीर के आधार के सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु टीमों का गठन किया गया। मैनुअल इनपुट, सीसीटीवी फुटेज व मुखबिर की सूचना के आधार पर अभियुक्तों 1. हनी उर्फ मोनू पुत्र बीरेश कुमार निवासी उपरोक्त व विवेक पुत्र बीरेश कुमार निवासी उपरोक्त को हाजी बलवान की दुकान के पास वजीराबाद रोड के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण उपरोक्त के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता</u>

1. हनी उर्फ मोनू पुत्र बीरेश कुमार निवासी मास्टर कालोनी गरिमा गार्डन थाना टीलामोड़ गाजियाबाद उम्र 24 वर्ष
2. विवेक पुत्र बीरेश कुमार निवासी मास्टर कालोनी गरिमा गार्डन थाना टीलामोड़ गाजियाबाद उम्र 21 वर्ष।

<u>गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-</u>

- थाना टीला मोड़ पुलिस टीम।

थाना लिंक रोड पुलिस टीम द्वारा घरों में से मोबाइल फोन चोरी करने वाला 01 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी के 03 मोबाइल फोन बरामद।

<u>कार्यवाही की विवरण:</u> दिनांक 17.05.2024 को वादी श्री मनोज पाल पुत्र कुँवरचन्द निवासी कड़कड़ मॉडल थाना लिंकरोड गाजियाबाद की लिखित तहरीर के आधार पर अज्ञात चोर द्वारा घर के अन्दर घुसकर 03 मोबाइल चोरी कर ले जाने के सम्बन्ध में अज्ञात में मुकदमा पंजीकृत कराया था। तत्काल लिंक रोड़ पुलिस द्वारा टीमों का गठन कर मैनुअल इनपुट, सीसीटीवी फुटेज, चेकिंग के दौरान व मुखबिर खास की सूचना के आधार पर दिनांक 18.05.2024 को उक्त घटना में संलिप्त अभियुक्त विजय पुत्र बिरंजी चौधरी निवासी गांव मुगवार थाना बसनई जिला सहरसा बिहार हाल पता मकान पप्पू ग्राम झंडापुर थाना लिंकरोड कमिश्नरेट गाजियाबाद उम्र 20 बर्ष को कड़कड़ रेलवे फाटक के पास से गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से चोरी के (भिन्न-भिन्न कम्पनी के) 03 मोबाइल फोन बरामद हुए। अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>पूछताछ का विवरण-</u> अभियुक्त उपरोक्त ने पूछताछ पर बताया कि मैं नशे का आदी हूँ नशे के लिये ही मैं चोरी करता हूँ ये 03 मोबाइल फोन मैने ही कड़कड़ मॉडल से एक घर से चोरी किये थे। जिन्हे चलते फिरते व्यक्तियों को सस्ते दामों में बेच देता हूँ। इस प्रकार अपने शौक मौज पूरे करता हूँ।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता</u>

विजय पुत्र बिरंजी चौधरी निवासी गांव मुगवार थाना बसनई जिला सहरसा बिहार हाल पता मकान पप्पू ग्राम झंडापुर थाना लिंकरोड कमिश्नरेट गाजियाबाद उम्र 20 बर्ष।

<u>बरामदगी का विवरण</u>

- कब्जे से चोरी के (भिन्न-भिन्न कम्पनी के) 03 मोबाइल बरामद।

<u>गिरफ्तार करने वाले पुलिस टीम</u>

थाना लिंक रोड पुलिस टीम।